

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या: प्राथमिक शिक्षा/सम्बद्धता/2021/ 5431

लखनऊ दिनांक: 06.09.21

-कार्यालय ज्ञान-


प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/दार्जिली कक्षागत जीक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु द्वितीय/तृतीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 8-8-2021 को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अधोदिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

समिति के अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुमोदन में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित करने के अर्थात् अनुमोदन एवं उसमें अंतर्गत प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता
01	डॉ. बडी प्रसाद स्मृति प्राथमिक शिक्षा संस्थान, दार्जिली, कोच (असम)-781003	द्वितीय एवं तृतीय-60	60

- सम्बद्धता हेतु शर्तें**
- ✓ संस्था को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्था को पूर्णतः पालन करनी।
 - ✓ संस्था को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्था को वर्ष 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधित विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करनी। शुल्क का अनुमोदन हेतु ₹ 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए तैयार करनी। शुल्क का अनुमोदन हेतु ₹ 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक लाख दो वर्षों के लिए तैयार करनी। शुल्क के अतिरिक्त हेतु ₹ 22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही अत्यंत आवश्यकता से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सतत द्वारा निर्णय लिये जाने वाले सलाहनामों का पालन करनी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। धीरे-धीरे निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षा का पुनर्निर्धारण किया जायेगा है, तो शिक्षा की नवीनतम टेंडर में शामिल होगी।
 - ✓ संस्था को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्था को पूर्णतः पालन करनी।
 - ✓ संस्था को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्था को पूर्णतः पालन करनी।
 - ✓ संस्था को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्था को पूर्णतः पालन करनी।
 - ✓ संस्था को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्था को पूर्णतः पालन करनी।


PRINCIPAL
 Dr. Badri Prasad Sanyal Mahavidhyala,
 Department of Pharmacy
 Koach (Assam) U.P


 प्राथमिक शिक्षा परिषद
 लखनऊ

- ✓ प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संचयन प्रवेश परीक्षा परीषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा नीति, 2019 द्वारा बताए गए विषयों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होगी।
- ✓ दिल्ली में इन फार्मों को पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इन संघ में समस्त उपाध्यक्ष संस्था का होगा और विधिक रूप से प्रो. पी. कायापति के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परीषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग आदि प्रवेश परीक्षा आदेशों के तहत कार्य कर रहे हैं।
- ✓ दिल्ली में इन फार्मों को पाठ्यक्रम संघान्वित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कठिनातित्व प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परीषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा इन प्रवेश परीक्षा परीषद के आदेशों से उपाध्यक्ष संस्था तत्पर होकर प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा की कार्यवाही करेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टाफ, साधन, उपकरण, प्राप्त विद्या जाने वाली शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैकिंग ठीक करने के तत्परता में समर्थ आवास व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परस्तावित/संघान्वित पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने हेतु निर्दिष्ट संस्था में के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किन्हीं अन्य पाठ्यक्रम के संघान्वित में प्रयोग किया जाता है और परीषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को संबद्धता संघान्वित कि जाने की अनुरोध की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निर्देशों के तहत यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्तियां पी.सी.आई. के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की संस्था द्वारा किन्हीं सूचना के समान्त कर ही जाएगी।
- ✓ संस्था द्वारा जारी कर अनुपालन में किन्हीं अन्य प्रवेश परीक्षा आदेशों के अंतर्गत किन्हीं जाने की स्थिति में नि. मातृकानुसार अनुपालन आवश्यक करवाई की जाएगी।

(सुनील कुमार सोमकर)
सचिव।

5432 तददिनांक: 06.09.2021

पुस्तकालय परीषद सम्बद्धता/2021/
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, सेंट जॉर्ज प्रयाग, उत्तर प्रदेश
तारिका-28205

(सुनील कुमार सोमकर)
सचिव।

PRINCIPAL
Dr. Badriprasad Smariti Mahavidhyala,
Department of Pharmacy
Kanchi (Talsun) U.P.

परीक्षाधिकारी
श्री. सुनील कुमार सोमकर
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
सेंट जॉर्ज प्रयाग

संज्ञापन

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

अंतर प्रदेश समन्वय

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/10091

दिनांक: 31/10/2022

संज्ञापन का प्रस्ताव

अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकी संयोजन और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तिक वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न स्तरीय स्तरों की शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा स्तरता वृद्धि सहित अन्य सौरी पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिधे गवे निर्देश के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसकी अवधि प्रवेश बनता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3017-SETH BADRI PRASHAD SMARITI MAHAVIDHYALAYA DEPT.OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनों 1982, विनियमनों-2000, संशोधित विनियमनों-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनोदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करके द्वैतीय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30190.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु रु०- 48000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक/द्वितीय से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनोदेश पत्राचारों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा वधि वर्ष 2022-23 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो वीस की नवीनतम दो लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनोदेशों के अनुसार निर्देशण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विनियमनों/अधिनियमों/शासनोदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3002 द्वारा स्तरीय गवे नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के सिधे बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में तत्काल उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के सिधे संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा उत्तर गद


PRINCIPAL
 SETH Badri Prasad Smariti Mahavidhyala,
 Department Of Pharmacy
 Kanch (Jalaun) U.P.

... में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाये है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को ...

- ✓ संस्था को अनुमत प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु अधोक्षित काउन्सिलिंग प्रोग्राम होने के पूर्व ...
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों के अनुसार संस्था को अनुमति देना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करवाया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ पैकिंग होकर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघारित पाठ्यक्रम को चलाये जाते हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सूचना, पानी-पत्र, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघारण में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धित सन्धियां किये जाने की कार्यवाही करेगी।
- ✓ संस्था के अतिरिक्त स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पर ... के मातकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बन्धित समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित कर्तों का अनुमान या किये जाने अथवा कर्तों का उन्मादित किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

[Signature]
(एक/आर/बान)

सचिव

दिनांक: 31/10/2023

पूजा- अधिपति/संस्था सम्बन्धित/2023/10992-10140

प्रतिनिधि:-

प्राचार्य/निदेशक, BETH BADRI PRASHAD SMARITI MAHAVIDHYALAYA DEPT. OF PHARMACY

[Signature]
(एक/आर/बान)

सचिव

[Signature]
PRINCIPAL

Beth Badri Prasad Smariti Mahavidhyalaya
Department Of Pharmacy
Korchi (Jalsan) U.P.

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय द्वारा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें जयित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3017-BETH BADRI PRAASHAD SMARITI MAHAVIDHYALAYA DEPT. OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०ए०ई०/ सी०सी०आई० द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश	
		क्षमता	क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3069/9/2022 टीएम०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थाओं की ओर से विरहट्ट कस्तूरबी न्यायालय में पंजीकृत रिट याचिका संख्या 8027/2023 में कस्तूरबी न्यायालय के अतिरिक्त निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्मित की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विधायक की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संगठन में समस्त संसाधन (धुनि, धारण, लेब उपकरण) उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद पृष्ठ 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, विनियमकारी-2000, सेमेस्टर विनियमकारी-2016 तथा समग्र-समय पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समग्र-समय पर शासन द्वारा निर्मित निर्देश जारी शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुमोदन कार्यकारी किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु कौशल का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो कौशल की गतिविधि पर लागू होंगी।
- ✓ संस्था में शैक्षणिक प्रवेश परीक्षा परीक्षक द्वारा आयोजित कराये गये ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था जो समग्र-समय पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ समग्र-समय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि/विनियम/अधिनियम/शासनादेशों/निर्देशों एवं विधेयक, प्राथमिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रदेश स्तरीय प्राथमिक, उ० प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यवाही है।

PRINCIPAL

In Badriprasad Smariti (Maha Vidhyalay) -
Department Of Pharmacy
Kotesh (Jalaun) U.P.

संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रों परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु आयोजित करने होने के लिए आदेश भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को ज्ञापित किया जाता है तथा द्वारा का के संबंध में या जायजत द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अर्हक निर्गत किया जाता है तो संबंध प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बननी होगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समक्ष-समक्ष पर मिलित नवीनतम आदेशों निगमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रतियोगिता शिक्षा के पुस्तकालय पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएँ वैसे संस्था की दृष्टिकोणिक पुंति भुनि, स्टाम्प, साया-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मूल्य, जासबात कुल-राशि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिक्षण हेतु अनुसूचित जात/जाति वर्गों के साथ शैक्षणिक टोकेन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक समस्त सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित/संबन्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने एवं अधिलेख, भुनि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता शिक्षा (समितियों और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राधिकारानुसार परिषद की बात पर अपने कार्यवाही, भवन और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिसूचना में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भुनि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साया-संख्या ए००००००००००/००००००००००/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वर्तन का अनुपालन न किये जाने अथवा कटौत का प्रलम्ब किये जाने की स्थिति में निगमद्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/डिरेक्टर, SETH BADRI PRASHAD SMARITI MAHAVIDHYALAYA DEPT. OF PHARMACY


(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव


PRINCIPAL
Dr. Badri Prasad Smariti Mahavidhyala
Department of Pharmacy
Kanchi (Jaisan) U.P.